

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1931 / 2024

दिनांक : 28 .05.2024

श्रीमती शिखा चारण (RJ01335), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली (पाली) हाल न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

- दिनांक 12.02.2024 से 16.02.2024 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 10.02.2024 से 11.02.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
- दिनांक 17.02.2024 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 18.02.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती चारण की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली (पाली) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली (पाली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/88/2020/ 4272

दिनांक 28.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 1976 दिनांक 03.05.2024 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती शिखा चारण (RJ01335), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर)।
- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली (पाली)।
- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाली (पाली)।


28/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार